



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

N 785954



दान-पत्र



शाम बिलावली तहसील व जिला देवास (म.प्र.) की भूमि का दान पत्र प्राप्त
क्रमांक 03 में दियत प.ह.न.17 (नया नं.41) पर अंकित।
वार्ड क्रमांक 02 सरल क्रमांक 29 आवास नगर अन्दर की ओर बिलावली
अण पुस्तिका भाग-01 एवं 2 क्रमांक एल.जे. 347394 राजस्व निदीकाक मंडल -01,
देवास में दर्ज भूमि का दान पत्र।

सम्पत्ति का बाजार मूल्य रुपये 1,13,43,000/(अबरी रुपया एक करोड़ तौहल्ख त्रियाल्प्रीस हजार) मात्र

उक्त भूमि मुख्य मार्ग /राज्य मार्ग /राष्ट्रीय राज्य मार्ग /बायपास/जिला मार्ग/ग्रामीण मार्ग
पर दियत नहीं होकर अन्दर की ओर दियत है।

स्टाम्प इयुटी	-	5,67,150.00
नगर निगम इयुटी	-	1,13,430.00
पंचायत इयुटी	-	1,13,430.00
उपकर इयुटी	-	14,179.00
अधिक स्टाम्प	-	11.00
 कुल स्टाम्प रुपये		8,08,200.00

Anup Singh

निर्दंतर.....02 पर



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

696
रसीद दस्तावेज बौरह
पुकाम 44

766

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत
या दस्तखत को तारीख या किस्म जो
मुहरबद्द लिपाफाल लिया गया हो
जिसके बाबत फोम दाखिल हुई हो
उसके ऊपर लिखी हुई इब्रात

तादाद फीस (अगर हो तो) दाखिल शुदा	रजिस्ट्री के ओहंदेदार के छोटे दस्तखत
3	4

*चाणकालीन
दाखिल
दाखिल
दाखिल*

1907500

उप-पंजायिक

2015

//02//

दान पत्र लिख देने वाले :-

(प्रथम पक्ष)

01. आलोक सिंह पिता श्री रामप्रकाश सिंह
जाति-राजपुत, आयु-49वर्ष, व्यवसाय-व्यापार
PAN NO.:-ATKPS4525M
02. श्रीमती अनिता पति श्री आलोक सिंह
जाति-राजपुत, आयु-48वर्ष, व्यवसाय-व्यापार
निवासीगण-बी-1/52 आवास नगर, देवास (म.प्र.)
PAN NO.:- ATKPS4513M

इसमें इनके समर्ग उत्तराधिकारी सम्मिलित होकर इस
दान पत्र की आगामी कंडिकाओं में दान दाता/प्रथम पक्ष
के नाम से सम्बोधित किया गया जावेगा।

दान पत्र जिनके हित में निष्पादित किया जा रहा है :-

(द्वितीय पुका)

समिति- रिनेसांस एज्युकेशन सोसायटी,
बी-1/52 तल मंजिल आवास नगर देवास (म.प्र)
पंजियन क्रमांक उ.स.498/28.04.1993
PAN NO.:-AAAAR9031M

द्वारा सचिव:-
आलोक सिंह पिता श्री रामप्रकाश सिंह
जाति- राजपुत, आयु-49 वर्ष, व्यवसाय- व्यापार
निवासीगण-म.न.बी-1/52 आवास नगर देवास(म.प्र)
PAN NO.:-ATKPS4525M

इसमें इनके समर्ग उत्तराधिकारी सम्मिलित होकर इस
दान पत्र की आगामी कंडिकाओं में दान प्राप्त कर्ता
द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया जावेगा।

B

B
सचिव



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

N 785956

//03//

दान की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

यह कि प्रथम पक्ष के संयुक्त मालकी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि बाम बिलावली तहसील वर्धिजिला देवास (म.प्र.) प.हन. 17 (नया नं.41) पर स्थित भूमि को दान करने हेतु प्रथम पक्ष को समस्त अधिकार प्राप्त होकर प्रथम पक्ष इस दान पत्र के संपादन हेतु सक्षम हैं, दान की जाने वाली भूमि का विवरण:-

क्रमांक	सर्वे नं.	रकबा (हैक्टेर में)	लगान
1.	199/4	0.836	ऐटवारी
कुल	01	0.836	ऐटवारी

चर्तु; सीमा:-

- पूर्व को - कमलकुँवर गांवोट की शेष भूमि
- पश्चिम को - प्राधिकरण की भूमि
- उत्तर को - कमलकुँवर गांवोट की शेष भूमि
- दक्षिण को - मार्ग

उपरोक्त कुर्भित भूमि शासकीय पट्टे की नहीं होकर भू-दान यज्ञ के तहत नहीं दी गई है, दान की जा रही भूमि पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 165(6)(क) का उल्लंघन होकरा नहीं है। उक्त भूमि पर आने जाने हेतु जिस दास्ते का उपयोग प्रथम पक्ष द्वाया किया जा रहा है उसी दास्ते का उपयोग आप द्वितीय पक्ष द्वारा भविष्य में किया जावेगा।।

निर्दंतर.....04 पर

B
संस्कार
संस्कार संस्कार संस्कार संस्कार
संस्कार संस्कार संस्कार संस्कार
१/५ भारत देवास

मुख्य



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

N 785957

//04//

यह कि ग्राम बिलावली प.ह.न. 17 (नया नं.41) तहसील व जिला देवास (म.प्र.)में
स्थित भूमि सर्वे नं.199/4 एकबा 0.836 हैक्टर , लगान रेटवारी भूमि हम प्रथम पक्ष आलोक
सिंह पिता श्री रामप्रकाश सिंह एवं श्रीमती अनिता सिंह पति श्री आलोक सिंह निवासीण
बी-1/ 52 आवास नगर, देवास (म.प्र.) द्वारा श्रीमती कमलकुँवर पति श्री मानसिंह गांव
निवासी १०, तुकोगंज रोड, देवास (म.प्र.) से विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय लेख क्रमांक 1-अ/
565 दिनांक 24.05.2003 द्वारा कर्य की गई होकर उक्त वर्णित सर्वे नं. वाली भूमि प्रथम पक्ष
के संयुक्त मालिकी, स्वत्व, आधिपत्य एवं कर्जो की होकर हम प्रथम पक्ष के नाम से राजस्व
कागजात एवं रेकार्ड में दर्ज है जिस आधार पर उक्त वर्णित सम्पत्ति के संबंध में समस्त भूमि
स्वामी अधिकार, स्वत्व प्रथम पक्ष के पास होकर इसे कहीं पर भी रहन, गिरवी, दान, बक्षीस,
विक्रय आदि करने का पूर्ण अधिकार होने से उक्त वर्णित सर्वे नं. वाली भूमि का दान पत्र दान
दाता /प्रथम पक्ष द्वारा दान घृहिता द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित किया जा रहा है।

यहु कि आज अंतरित की जा रही प्रष्टनाधीन सम्पत्ति को प्रथम पक्ष द्वारा अवश्य प्रथम पक्ष के प्रतिनिधि या समूनुदेशिती या उसके अधिकर्ता (एजेंट) के द्वारा आज दिनांक तक किसी अव्यव्यक्ति के पक्ष में दिजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा पूर्व में हस्तांतरित या स्थाई रूप से अव्यसंक्रान्त नहीं किया गया है अर्थात् इस अंतरण से पंजीयन अधिनियम की धारा 22 (क) का उल्लंघन नहीं होता है।

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति दान दाता के मालिकी स्वत्व, आधिकारी, आधिपत्यधारक होकर उपरोक्त सम्पत्ति कहीं रहन, गिरवी, दान, बक्षीस किया हुआ नहीं है तथा दान दाता हर प्रकार से अंतरण / हस्तांतरण उपरोक्तानुसार दान पत्र निष्पादित / संपादित करने का पूरा अधिकार द्वापत है तथा दानग्रहिता को दान में प्राप्त करने का पूरा अधिकार है ।

यह कि उपरोक्त भूमि का दान समिति के कार्पस का भाग होगा एवं उपरोक्त भूमि का उपयोग समिति के बाईलाज में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही किया जा सकेगा।

संग्रहीत दिनांक १८ सप्तमी
रिक्षेसोस ब्रह्मुदेशन स्पेसार्टी
४१/५ कावास चार देवाल

Anisai

निर्देश...05 पर



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

N 785958

//05//

यह कि उपरोक्त दान पत्र में अंतिविशिष्ट भूमि समस्त अधिकार सहित प्रथम पक्ष द्वारा इसकी चर्तु; सीमा समझाकर इसका अधिपत्य द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है। आज से अधिकार मालिक के नाते एवं स्वत्व प्रथम पक्ष को प्राप्त थे, वह समस्त हित व अधिकार उपर खुलासा किये अनुसार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

यह कि उपरोक्त विवरण की भूमि सभी प्रकार के प्रभारी से मुक्त होकर कलीन टायटलयुक्त है, इस भूमि के स्वत्व आधिपत्य एवं अधिकार के संबंध में कोई विवाद नहीं है यदि भविष्य में ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको निपटाने का कुल उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का रहेगा। द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार के हर्जे-खर्चे में नहीं पड़ने दिया जावेगा।

यह कि इस दान पत्र में समाविष्ट भूमि पर दान पत्र संपादन की तिथि तक कोई भी किसी भी प्रकार का राजस्व विभाग, नगर पालिक निगम/बजूल/मध्यप्रदेश विद्युत मंडल/पंचायत या अन्य किसी शासकीय विभाग का कोई बकाया कर व प्रभार देना शेष नहीं है। दान की जाने वाली भूमि किसी भी बैंक, सोसायटी या प्रायवेट व्यक्ति के पास, गिरवी, दान, बक्षीस के प्रभार के अधीन नहीं है। यदि इस संबंध में कोई कर, टिक्स आदि अवशेष रहा तो उसके संदाय का कुल उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का रहेगा। इसी प्रकार उक्त भूमि पर स्वत्व की कमजूरी के कारण प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को किसी भी हर्जे खर्चे में पड़ने नहीं दिया जावेगा।

यह कि प्रथम पक्ष का यह उत्तरदायित्व रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष को समस्त सरकारी विभाग में तथा राजस्व विभाग में, पंचायत आदि में नामान्तरण करने में पूर्ण सहयोग करेंगे।

सिर्वेस एजेंसी नामांकन
81/5 आदर्श नगर देहराड़ू
Anil Singh

Anil Singh

निरंतर....06 पर



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

N 785959

//06//

उभय पक्ष ने इस दान पत्र में लिखे समस्त कथनों को गंभीरता पूर्वक स्वयं अध्ययन कर पढ़कर एवं समझकर स्वीकार करते हुए अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हुए पूरे होश हवासौ में स्वस्थचिल से दो उल्लेखित गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकरुगवाह करवाते हुए आज बिना दबाव के राजी-खुशी से दान कर सम्पादित एवं हस्ताक्षरित किया है जो वैधानिक रूप से जरूरत पड़ने पर काम आवें।

स्थान:-देवास

दिनांक:-24.06.2015

गवाह:-

दान पत्र लिख देने पाले

1. हस्ताक्षर.....

नाम:- सुनील चिता श्री जी.एन बाजपेयी

पता:- ५७, विजय नगरचामुण्डा पुरी, देवास (म.प्र.)

डा.ला.कं. MP-41-P-2006-0083191

.....Anup Singh.....

2. हस्ताक्षर.....

नाम:- द्विवेन्द्र पिता श्री रामचन्द्र जी मुकाती

उपरोक्त दान पत्र हम दान

ग्रहिता को स्विकार है

पता:- ग्राम लक्ष्मीनाथ तह.व.जिला देवास (म.प्र.)

.....

नि.पत्र.कं. MP/33/278/114026

मेरे कार्यालय में उभय पक्ष द्वारा दी गई जानकारी एवं
निर्देशानुसारु इस विलेख का प्रारूप तैयार किया गया है,
पक्षकारों, गवाहों की पहचान व सम्पत्ति के छायाचित्र,
से मेरा कोई संबंध नहीं है।

चोगेश कुमार द्विवेदी
अभिभाषक देवास (म.प्र.)

रिंगरेस पंजुकेशन ट्रस्टली
B1/5 आदाव नगर देवास